राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/11/ 7340–7599 दिनांक 09/11/2023

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– **आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से कार्मिक एवं वेतन बिलों से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में।**

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र दिनांक 04.10.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर विकसित की गई कार्मिकों एवं वेतन बिलों से संबंधित प्रक्रियाओं की टेस्टिंग करवाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, लेकिन अभी तक विभागों / कार्यालयों द्वारा टेस्टिंग कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.10.2023 से 20.10.2023 तक सभी विभागों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

इस संबंध में आई.एफ.एम.एस. 3.0 के तहत विकसित की गई निम्न प्रक्रियाओं की टेस्टिंग शीघ्र की जानी है :–

1. विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया।
2. कार्मिकों के मास्टर डेटा का आई.एफ.एम.एस. 2.0 से Migration उपरान्त आई.एफ.एम.एस. 3.0 में जांच वेरीफिकेशन अपडेशन
3. संवेतन बिल जनरेशन।
4. कोष प्रणाली व ई–सीलिंग, ई–भुगतान, आहरण एवं वितरण अधिकारी रजिस्ट्रेशन
5. नवनियुक्त कार्मिकों एवं कार्मिक जिनका आई.एफ.एम.एस. पर उपलब्ध नहीं है, कार्मिकों का डेटा सिस्टम में रजिस्ट्रेशन।

टेस्टिंग हेतु उक्त प्रक्रिया Production पर उपलब्ध है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर 2023 देय माह जनवरी 2024 का वेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर बनाया जाना है। अतः आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों / डीडीओं को निर्देशित कर वांछित कार्यवाही करवाने का पुनः अनुरोध है।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/11/ 7600   दिनांक 09/11/2023

प्रतिलिपिः तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)